212

<u>गोपनीय</u>

SIL 08/2020

<u>पूर्व मध्य रेल</u>

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
हाजीपुर
दिनांक 20.03.2020

पत्र सं0 ईसीआर / विज / प्रणाली सुधार / 50

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त
पूमरे / हाजीपुर।

विषय : रेलवे सुरक्षा बल के आवधिक चिकित्सा जाँच कराने के पहलू पर प्रणाली सुधार।

पूर्व मध्य रेल के उप मंडलीय अस्पताल, गया तथा मंडल अस्पतालों दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर, धनबाद, एवं दीन दयाल उपाध्याय में रेलवे सुरक्षा बल के आवधिक चिकित्सा जाँच के पहलू पर निवारक जाँच की गई। निवारक जाँच के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आये:–

(1) किसी भी मंडल के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल में तैनात किसी भी कर्मी का नियमित आवधिक चिकित्सा जाँच नहीं करायी हुई पायी गयी जो भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 514 (बी) नोट–1 के निर्देशों का उल्लघन है।

(2) कुछ मंडल अस्पताल में रेलवे सुरक्षा बल का चिकित्सीय जाँच करायी हुई पायी, लेकिन वे सभी नियमित आवधिक चिकित्सा जाँच से संबंधित नहीं थे। वे सभी किसी न किसी प्रकार के ट्रेनिंग में भेजने के पूर्व चिकित्सा जाँच कराए गए थे। जबकि भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 514 (बी) **नोट–1 के निर्देशानुसार–**

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से सेवा के समापन तक हरेक तीन साल की अवधि की समाप्ति पर शारीरिक फिटनेस के लिए फिर से जाँच की जाएगी। हलाँकि, रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षकों, उप–निरीक्षकों और सहायक निरीक्षकों को शारीरिक फिटनेस और Visual acuity test के लिए 45 वर्ष की आयु और उसके बाद पाँच साल की हर अवधि की समाप्ति पर पुनः जाँच कियें जाने का प्रावधान है।

अतः भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 514 (बी) नोट–1 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्यप्रणाली विकसित की जाए।

उपरोक्त तथ्यों पर समुचित कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय को अवगत करायी जाए।

सन्नी सिन्हा 20/03/2020
(सन्नी सिन्हा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक(सतर्कता)

20/3/2020

(337)
20/3/2020

[File No. ECR/Vig/V-4/H/GYA/05-19/PC/PK/01(IRVINS NO.20190500466)]

Scanned with CamScanner